प्रश्न सं. [क. 5871]

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश
गौतम नगर, भोपाल – 462021
दूरभाष 0755–2583650 फैक्स 0755–2583651
ई–मेल dplmp@sancharnet.in

क. स्था–1/ए/07/पे./1418 भोपाल, दिनांक 11.10.07
प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्य प्रदेश ।

विषय:–सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन स्वत्वों के सेवानिवृत्ति दिनांक को ही भुगतान बावत ।

–0–

हाल ही में सम्पन्न संभागीय समीक्षा बैठकों मे हुए संवाद के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभाग में अपनी अधिवार्षिकी सेवापूर्ण करने पर कई अधिकारियों/कर्मचारियों एवं शिक्षक संवर्ग के पेंशन आदि स्वत्वों का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। आपको विदित है कि इन स्वत्वों के आकलन हेतु सेवानिवृत्ति दिनांक के एक वर्ष पूर्व ही प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रावधान है । अतः विलंब की स्थिति सामान्यतः निर्मित नहीं होनी चाहिए । इसके उपरान्त भी उक्त वर्णित स्थिति निर्मित होना चिन्ताजनक है ।

यह निर्देशित किया जाता है कि म.प्र. सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधानानुसार निर्धारित समय सीमा में सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी एवं शिक्षक संवर्ग के पेंशन प्रकरण तैयार कर सेवानिवृत्ति दिनांक को ही उनके समस्त सेवानिवृत्ति पर देय स्वत्वों के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें । 30 नवंबर 2007 के उपरांत यदि सेवानिवृत्ति पर देय स्वत्वों का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि पर नहीं किया जाता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण संवितरण अधिकारी व स्वीकृतकर्ता अधिकारी का होगा एवं बिलकर्ता की शिथिल कार्यशैली में लापरवाही के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(एस.एन. मिश्रा)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश

पृ.क. स्था–1/ए/07/पे./ भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि –

1. निजसहायक, मान. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.
5. समस्त संकुल प्राचार्य,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश

निरन्तर पृष्ठभाग पर पेज ②

तारांकित प्रश्न क्र-5871, परिशिष्ट-2

(2)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–इंदौर

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.5871 के प्रश्न क से संबंधित परिशिष्ट "अ"
दिनांक 30.09.2020 तक सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों की जानकारी

स.क्र.	सेवानिवृत्त शिक्षक / कर्मचारी का नाम पदनाम सहित जानकारी	सेवानिवृत्ति की तिथि	पेंशन निराकरण नहीं होने का कारण	पेंशन प्रकरण लंबित होने के कारण प्रत्याशित पेंशन दी जा रही है अथवा नहीं	प्रत्याशित पेंशन नहीं देने का कारण	पेंशन निराकरण हेतु कृत कार्यवाही
1	श्री मंगल प्रसाद मालवीय, प्र.अ.प्रा.वि.	31.10.2016,	2273 दिवस का अकार्य दिवस की स्वीकृति के अभाव में ।	नहीं	आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में प्रत्याशित पेंशन जनरेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ।	अकार्य दिवस की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संचालनालय लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल को भेजे गये ।
2	श्री ओमप्रकाश जोशी, स.शि.	31.01.2017,	लोकायुक्त प्रकरण होने से	हॉं	—	लोकायुक्त प्रकरण के निराकरण के पश्चात कार्यवाही की जावेगी ।
3	सुश्री मुश्तरी बेगम, स.शि.	19.09.2016	वारिस, प्रमाण–पत्र के पश्चात् आई.एफ.एम.आई.एस.साफ्टवेयर में संबंधित का यूनिक एम्प्लाई कोड प्रदर्शित नहीं होने से एस.डी. बुक की गई है ।	प्रत्याशित पेंशन की पात्रता नहीं	प्रत्याशित पेंशन की पात्रता नहीं	संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं होने से एस.डी.बुक की गई ।

Scanned by CamScanner

तारांकित प्रश्न 5871. परिशिष्ट-2

4	स्व.श्रीमती कृष्णा साहू, स.शि.	05.10.2017.	वारिस प्रमाण-पत्र के अभाव में लंबित ।	नहीं	वारसा प्रमाण-पत्र के अभाव में	वारसा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।
5	श्रीमती दुर्गा श्रीवास्तव, स.शि.	31.03.2018,	संबंधित के द्वारा पेंशन प्रकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण ।	नहीं	आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में प्रत्याशित पेंशन जनरेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ।	संबंधित को दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं, दस्तावेज प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी ।
6	मंजुला अजमेरा, स.शि.	30.11.2019,	अधिक भुगतान की वसूली के कारण ।	नहीं	आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में प्रत्याशित पेंशन जनरेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ।	अधिक भुगतान की वसूली का चालान जमा कराने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया ।
7	स्व.श्री गोवर्धनलाल सौराष्ट्रीय, स.शि.	08.12.2019,	वारिस प्रमाण-पत्र के अभाव में लंबित ।	नहीं	वारसा प्रमाण-पत्र के अभाव में	वारसा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।
8	ब्रजेश सिंह, स.शि.	31.12.2019,	1767 दिन के अवैतनिक अवकाश पर होने से वेतन निर्धारण के कारण लंबित ।	नहीं	आई.एफ.एन.आई.एस. साफ्टवेयर में प्रत्याशित पेंशन जनरेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ।	पेंशन प्रकरण कोष एवं लेखा में वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया ।

Scanned by CamScanner